

11/1/23

पत्रावली पेश हुई वकील उमयपत्र उपस्थित।
 वकील उमयपत्रों की तहसीलदार, जयपुर से
 पत्र क्रमांक/भू.अ./कोर्ट/2022/6123 दिनांक
 28/07/2022 के द्वारा प्राप्त बुरेजात रिपोर्ट
 पर बहस सुनी गई वकील वादी व उत्तिवादी
 द्वारा प्राप्त बुरेजात पर कोई आपत्ति पेश
 नहीं की गई है तथा आदेशिका में No objection
 करते हुए प्रकरण में अंतिम डिडी जारी
 करने हेतु निर्णय किया। वकील उमयपत्रों
 की बहस व तहसीलदार, जयपुर से प्राप्त
 बुरेजात रिपोर्ट एवं पत्रावली में मौजूद
 दस्तावेजों का अवलोकन करने पर क्रम
 न्यायालय तहसीलदार, जयपुर से प्राप्त
 बुरेजात क्रमांक/भू.अ./कोर्ट/2022/6123

उमयपत्र
 11.1.23
 (वकील)
 11/1/2023
 (प्रतिवादी)
 No objection

राजस्थान कलेक्टर (प्रिसिपल)
 जयपुर शहर प्रभाग



क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>दिनांक: 28/07/2022 के अनुसार प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी किया जाना उच्च न्यायालय में समझते हैं। मुताबिक निर्णय प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की जावे। तथा तहसीलदार, जयपुर को पालना हेतु तहरीर जारी की जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम होकर दाखिल वफतार हो। निर्णय आज दिनांक: 21/01/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> <u>Maistry</u> जयपुर नगर न्यायालय सहायक कलेक्टर (प्रिवी) जयपुर नगर न्यायालय </p>